न्यायालय उपखण्ड अधिकारी देवगढ़ जिला राजसमन्द (राजस्थान)

प्रकरण सख्या – 156/2025 (प्रार्थना पत्र)
दायर दिनांक – 18/12/2025
निर्णय दिनांक – 18/12/2025

अनवान

1. जगू दत्तक पुत्र देवा जाति सालवी निवासी मदारिया तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द

प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार देवगढ़ जिला राजसमन्द।

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

: : निर्णय : :

प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 का पेश किया जिसका संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार है कि राजस्व ग्राम मदारिया पटवार मण्डल मदारिया के खाता संख्या 219 में सहखातेदारी भूमि स्थित है। उक्त खाते में प्रार्थी के नाम की दोहरी प्रविष्टि जगू दत्तक पुत्र देवा हिस्सा 1/8, जगू दत्तक पुत्र देवा हिस्सा 1/8 जिसके स्थान पर प्रार्थी जगू दत्तक पुत्र देवा हिस्सा 1/4 शुद्धि कराए जाने बाबत् निवेदन किया गया।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर जांच हेतु तहसीलदार, देवगढ़ को अग्रेषित किया गया। तहसीलदार, देवगढ़ की जांच रिपोर्ट अनुसार ग्राम मदारिया पटवार मण्डल मदारिया के खाता संख्या 219 में प्रार्थी की दोहरी प्रविष्टि को अंकित है। अतः मदारिया पटवार मण्डल मदारिया के खाता संख्या 219 में जगू दत्तक पुत्र देवा हिस्सा 1/4 दर्ज किया जाने की अनुशंषा की गई। राजस्व रिकॉर्ड एवं प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। अतः उक्त दस्तावेजों के अवलोकन अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में शुद्ध किया जाना उचित प्रतीत होता है।

–::आदेश::–

अतः धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग करते हुए ग्राम मदारिया पटवार मण्डल मदारिया के खाता संख्या 219 में जगू दत्तक पुत्र देवा हिस्सा 1/8, जगू दत्तक पुत्र देवा हिस्सा 1/8 दोहरी प्रविष्टि के स्थान पर जगू दत्तक पुत्र देवा हिस्सा 1/4 दुरस्ती किए जाने की स्वीकृति दी जाती है। तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावें। यदि कोई न्यायालय स्थगन या राजकीय हित प्रभावित होता है तो तदानुसार कार्यवाही की जावे, अन्यथा निर्णय अनुसार पालना की जावे। यदि रहन का अंकन है तो तदनुसार अंकित रहेगा।

निर्णय आज दिनांक 18.12.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सुनाया गया।

(मो[illegible] R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी देवगढ़
जिला राजसमन्द